

# Varishtha Pension Bima Yojana

UIN: 512G291V01 Plan No. 828



(जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 द्वारा संस्थापित) / (Established by the Life Insurance Corporation Act, 1956)

भाग अ भारतीय जीवन बीमा निगम (जिसे आगे 'निगम'संबोधित किया गया है) को ''विष्ठ पेंशन बीमा योजना'' के अंतर्गत पेंशन क्रय करने हेतु एक प्रस्ताव एवं घोषणा पत्र प्राप्त हुआ है और यह प्रस्ताव तथा उसमें समाहित एवं संदर्भित प्रकथनों जिसके लिए उपरोक्त तालिका में उल्लिखित पेंशन प्राप्तकर्ता ने सहमति दी है. इस अनुबंध के आधार होंगे और एतद्वारा यह घोषित किया जाता है कि निगम को उपरोक्त तालिका में लिखित शर्तों पर तथा उसमें लिखित शंशन की राशि के लिए क्रय मूल्य प्राप्त हुआ है.

अब यह पॉलिसी इस बात की साक्षी है कि भुगतान की गई क्रय मूल्य की रातिफल में, पूर्व किथत तथ्यों के साथ उस/उन व्यक्तियों को जिन्हें कथित तालिका में लिखें अनुसार पेंशन एवं क्रय मूल्य देय होना व्यक्त किया गया है, प्रत्येक किस्त के संबंध में निगम के सक्षम संतोषजनक प्रमाणपत्र प्रस्तुत किए जाने पर कि किश्त का भुगतान देय हो गया है और साथ ही उस घटना के घटने पर जिसके तालिका के शतों के अनुसार क्रय मूल्य का भुगतान देय हो गया है, और किस्त की राशि/क्रय/मूल्य प्राप्ति के अधिकारी का साक्ष प्राप्त होने पर, निगम अपने बीमा सेवा प्रदान करने वाले कार्यालय द्वारा तालिका में अंकित पेंशन/क्रय मूल्य का भुगतान करेगा. परंतु बिना ब्याज के.

और एतदुद्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि यह पॉलिसी इसके पीछे की तरफ छपी परिभाषाओं, हितलाभों, सेवा प्रदान करने से संबंधित शर्तों, अन्य नियमों और शर्तों तथा वैधानिक प्रावधानों और निम्नलिखित अनुसूची तथा निगम द्वारा लगाए गए प्रत्येक पृष्ठांकन जिसे पॉलिसी का अंग माना जाएगा, के विषयाधीन होगी.

## PART - A

Whereas the LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA (hereinafter called "the Corporation") has received a Proposal and Declaration for the purchase of a pension under the "Varishtha Pension Bima Yojana" and the said Proposal and Declaration with the statements contained and referred to therein, which the Pensioner named in the Schedule referred to herein below has agreed shall be and are hereby declared to be the basis of this Contract and has received the Purchase Price for a pension amount and on the target state in this policy. and on the terms stated in this policy.

Now this Policy witnesseth that in consideration of the Purchase Price paid, the Corporation will pay either at its office where this policy is serviced or at some of its other office the pension and Purchase Price as specified in the said Schedule, but without interest, to the person/persons to whom the same is/are therein expressed to be payable upon proof to the satisfaction of the Corporation being furnished, in respect of each instalment, that the instalment in question has become payable and also in respect of the happening of the event on which the Purchase Price is to become payable in terms of this policy document, and of the title of the person/persons claiming to receive the Purchase Price.

And it is hereby declared that the Provisions printed on the back he	is Policy shall be subject ereof and that the followir	to the Definitions, Benefits, Conditions Rela	ted To Servicing a on the Policy by th	Aspects, Other Terms And Conditions and Statutory ne Corporation shall be deemed part of the Policy.	
मण्डल कार्यालय / DIVISIONAL OFFICE:		तालिका / SCHEDULE	शाखा व	शाखा  कार्यालय / BRANCH OFFICE:	
पॉलिसी सं.: Policy No.:		क्रय मूल्य (₹) : Purchase Price (₹):	Date of 1 देय तिथि		
पॉलिसी की आरंभ तिथि: Date of Commencement of policy	r.	पेंशन किश्त की राशि (₹):	Mode of । पेंशन प्राप्त	भुगतान का माध्यम : payment of pension: तकर्ता की जन्म तिथि :	
योजना सं.: Plan No.:		Amount of Pension Instalment (₹):	पेंशन प्राप्	irth of the Pensioner: तकर्ताकी उम्र : e Pensioner:	
				स्वीकृत है या नहीं ? age Admitted?	
बीमा अधिनियम 1938 की धारा 39 के अंतर्गत नामित व्यक्ति का नाम व संबंध : Name of Nominee under Section 39 of the Insurance Act, 1938 and relationship:				प्रस्ताव सं.: Proposal No.:	
				प्रस्ताव की तिथि: Date of Proposal :	
यदि नामित अवयस्क है, तो नियुक If nominee is a minor, name of the					
पेंशन प्राप्तकर्ता का नाम और पता Name and address of Pensioner:	:				
लाभार्थी, हितलाभ जिसे देय है	/ Reneficiary to whom E	canofite payable			
i) पेंशन हितलाभ:					
i) Pension Benefit:	To the Pensioner				
ii) मृत्यु पर देय राशि: ii) Death Benefit:	बीमा अधिनियम 1938 की धारा 39 के अंतर्गत पेंशन प्राप्तकर्ता के नामितों को या बीमा अधिनियम 1938 की धारा 38 के अंतर्गत उसके अभ्यर्पिती को या प्रमाणित निष्पादकों या प्रशासकों या अन्य वैधानिक प्रतिनिधियों को जिन्होंने उसकी सम्पदा या इस पॉलिसी के अंतर्गत देय राशि के लिए भारत संघ के किसी राज्य या संघशासित प्रदेश के किसी न्यायालय, जो भी लागू हो, से अपने प्रतिनिधि होने का प्रमाणपत्र प्राप्त किया होगा.  To the Pensioner's nominees under Section 39 of the Insurance Act, 1938 or his Assignee under section 38 of Insurance Act, 1938 or proved Executors or Administrators or other Legal Representatives who should take out representation to his/ her Estate or limited to the moneys payable under this Policy from any Court of any State or Territory of the Union of India, as applicable.				
िनगम के लिए उपरोक्त शाखा कार्यालय पर हस्ताक्षरित, जिसका पता अंतिम पृष्ठ पर दिया गया है तथा जिस पर पॉलिसी से संबंधित सभी प्राचार भेजे जाने चाहिए.					

Signed on behalf of the Corporation at the above mentioned Branch Office, whose address is given on the last page and to which all communications relating to the policy should be addressed.

दिनाक / Date

जांचकर्ता / Examined by:

फॉर्म न / Form No :

मुख्य/वरिष्ठ/शाखा प्रबंधक p. Chief / Sr./Branch Manager

एजेन्सी कोड Agency Code	एजेन्सी का नाम Agency Name	एजेन्ट का मोबाइल नंबर/लैंडलाइन नंबर Agent's Mobile Number/Landline Number

## भाग-ब-परिभाषाए

पॉलिसी दस्तावेज में प्रयुक्त शब्दों/शब्दावली की परिभाषाएं निम्नअनुसार हैं:

- 1. उम्र का अर्थ पॉलिसी के आरंभ होते समय पेंशन प्राप्तकर्ता की पूर्ण वर्षों में उम्र है.
- नियुक्त-व्यक्ति (एपॉइन्टी) वह व्यक्ति है जिसके पास पॉलिसी के अंतर्गत दावे के भुगतान की तिथि को नामित के नाबालिग होने तथा उसे दावे की राशि देय होने पर उस राशि/हितलाभ को सुरक्षित रखा जाता है.
- समनुदेशिती वह व्यक्ति है जिसे समनुदेशन के फलस्वरूप पॉलिसी के अधिकार तथा हितलाम हस्तांतिरत किए जाते हैं.
- समनुदेशन बीमा अधिनियम 1938 की धारा 38 के अतर्गत समनुदेशिती के पक्ष में पॉलिसी के अधिकारों तथा हितलाभों के हस्तांतिरत किये जाने की प्रक्रिया है.
- 5. लाभार्थी का अर्थ ऐसे व्यक्ति से है जो इस पॉलिसी के अंतर्गत हितलामों को प्राप्त करने का पात्र है. लाभार्थी पंशन प्राप्तकर्ता या उसका समनुदेशिती या नामित व्यक्ति का प्रमाणित निष्पादक या प्रशासक या कोई अन्य वैधानिक प्रतिनिधि, जैसी भी स्थिति हो, हो सकता है.
- 6. निगम का अर्थ एलआईसी अधिनियम 1956 की घारा 3 के अंतर्गत स्थापित भारतीय जीवन बीमा निगम से है.
- 7. पॉलिसी के आरंभ होने की तिथि का अर्थ इस पॉलिसी के शुरू होने की तिथि है.
- 8. डिस्चार्ज फॉर्म पेंशन प्राप्तकर्ता/लामार्थी द्वारा क्रमशः अभ्यर्पण करने/मृत्यु पर प्राप्त होने वाले हितलाभ का दावा करने के लिए भरा जाने वाला फॉर्म है.
- देय तिथि का अर्थ वह निर्धारित तिथि है जब पेंशन प्राप्तकर्ता को पेंशन देय तथा भुगतान योग्य हो.
- 10. पृष्ठांकन से अर्थ निगम द्वारा किन्हीं सहमत या जारी संशोधनों वा आशोधनों को इस पॉलिसी में शामिल करने के लिए संलग्न/जोड़ी गई शर्तों से है.
- 11. परिवार का अर्थ इस पॉलिसी के प्रयोजन से पेंशन प्राप्तकर्ता, उसके जीवनसाथी और आश्रितों से है.
- 12. मुफ्त लुक अविध पॉलिसी दुस्तावेज की प्राप्ति से 15 दिनों की अविध इस पॉलिसी के नियमों तथा शर्तों की समीक्षा करने के लिए हैं, और अगर पेंशन प्राप्तकर्ता उन नियमों तथा शर्तों में से किसी से असहमत हो, तो उसके पास इस पॉलिसी को लौटाने का विकल्प है.
- 13. आईआरडीए का अर्थ है इंश्योरेन्स रेग्युलेटरी एंड डेव्लपमेन्ट अथॉरिटी.
- 14. ऋण निगम द्वारा क्रय कीमत के प्रतिशत के रूप में ब्याज सहित मंजूर की गई राशि है.
- 15. तात्विक जानकारी वह जानकारी है जो कि पॉलिसी प्राप्त करते समय पेंशनकर्ता को पहले से ज्ञात थी, जिसका प्रस्तुत किए गए प्रस्ताव के बीमालेखन पर प्रभाव होता है.
- 16. अवयस्क या नाबालिग वह व्यक्ति है जिसने 18 वर्ष की उम्र पूरी न की हो.
- 17. नामांकन किसी व्यक्ति को बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 39 के अंतर्गत प्रस्ताव प्रपत्र में या बाद में पृष्ठांकन द्वारा शामिल करने/बदलने की प्रक्रिया है.
- 18. नामित वह व्यक्ति है जो पेंशन प्राप्तकर्ता की मृत्यु की दशा में पॉलिसी की राशि को मान्य रूप से उन्मोचित (डिस्चार्ज )करने का अधिकार रखता है.
- 19. पॉलिसी/पॉलिसी दस्तावेज का अर्थ पृष्ठांकनों, अगर कोई हों, सहित निगम द्वारा जारी वह दस्तावेज है जो कि पेंशन प्राप्तकर्ता तथा निगम के बीच एक वैधानिक अनुबंध होता है.
- पंशन प्राप्तकर्ता वह व्यक्ति है जो कि इस पॉलिसी के अंतर्गत निर्धारित अविध पर पंशन प्राप्त करता है.
- 21. क्रय कीमत पॉलिसी के अंतर्गत हितलाभों को सुनिश्चित करने के लिए आरंभ में पेंशन प्राप्तकर्ता द्वारा अदा की गई कीमत है.
- 22. अनुसूची आपके पॉलिसी दस्तावेज का एक अंग है जिसमें आपकी पॉलिसी का विवरण मौजूद है.
- 23. अभ्यर्पण का अर्थ पूरी पॉलिसी को वापस लेना/समाप्त करना है.
- 24. अभ्यर्पण मूल्य का अर्थ, वह राशि है, अगर कोई हो, जो कि इस पॉलिसी के नियमों तथ शतों के अनुसार उसे अभ्यर्पण करने की स्थिति में देय होती है.
- 25. UIN का अर्थ इस प्लान को आईआरडीए द्वारा आबंटित यूनीक आइडेन्टिफिकेशन नंबर है.

# भाग-क: हितलाभ

- \_\_\_\_\_\_ इस पॉलिसी के अंतर्गत निम्नलिखित हितलाभ उपलब्ध हैं:
- पंशन हितलाभ: अनुसूची में उल्लिखित पंशन किस्त की राशि (तात्कालिक वार्षिकी के रूप में) पंशन प्राप्त कर्ता को उसके जीवनकाल के दौरान, उसके द्वारा चुने गए माध्यम के अनुसार उपलब्ध होगी. पंशन प्राप्तकर्ता की मृत्यु पर यह हितलाभ समाप्त हो जाएगा.
  - इस प्लान के अंतर्गत एक परिवार को जारी सभी पॉलिसियों के अंतर्गत पेंशन की कुल राशि ₹60,000/-प्रति वर्ष से अधिक नहीं होगी.
- 2. मृत्यु पर मिलने वाली राशि: पेंशन प्राप्तकर्ता की मृत्यु पर क्रय कीमत लाभार्थी को लौटा दी जाएगी.

# भाग-ड: सेवा प्रदान करने के पहलू से संबंधित शर्तें

- उम्र का प्रमाण: प्रस्ताव प्रपत्र में पेंशन प्राप्तकर्ता की घोषित उम्र के आधार पर पॉलिसी जारी की गई है. लेकिन अगर प्रवेश के समय पेंशन प्राप्तकर्ता की सही उम्र उसे यहां कथित अनुसूची में विनिधारित बीमा का श्रेणी या शर्तों के अंतर्गत बीमा हेतु अयोग्य बनाती है तो पॉलिसी को रदद कर दिया जाएगा तथा इस निरस्तीकरण को तिथि को देय अभ्यर्पण मूल्य का मुगतान किया जाएगा.
   पॉलिसी ऋण: पॉलिसी के आरंभ होने की तिथि से तीन पॉलिसी वर्ष पूरे होने के बाद
- 2. पॉलिसी ऋण: पॉलिसी के आरंभ होने की तिथि से तीन पॉलिसी वर्ष पूरे होने के बाद ही पॉलिसी ऋण उपलब्ध होगा. पॉलिसी के अंतर्गत उपलब्ध ऋण की अधिकतम राशि क्रय कीमत का 75% होगी, जो कि संतोषजनक टाइटिल प्रस्तुत करने तथा निम्नलिखित नियमों या शर्तों का पालन करने के साथ-साथ निगम द्वारा समय-समय पर निर्धारित की जा सकने वाली अन्य नियमों व शर्तों के अधीन होगी.
- पर निर्धारित की जा सकने वाली अन्य नियमों व शतों के अधीन होगी. (i) ऋण तथा उस पर ब्याज के चुकाए जाने तक पॉलिसी पूर्णतः निगम को समनुदेशन किया जाएगा तथा वह जमानत के रूप में निगम के पास रहेगी.
- (ii) पॉलिसी के अंतर्गत पेंशन के मुगतान की बारबारता के अनुसार ऋण पर ब्याज अर्जित होगा तथा उसे ऋण दिए जाते समय निगम द्वारा निर्धारित दर से पेंशन की किस्त से वसूल किया जाएगा. ऋण पर ब्याज की पहली वसूली, ऋण दिए जाने के बाद पेंशन की अगली किस्त के देय होने पर की जाएगी.
- (iii) अगर पॉलिसी को अभ्यर्पण किया जाता है या मृत्यु के कारण पॉलिसी पर दावा उत्पन्न होता है, तो निगम पॉलिसी की राशि में ऋण की राशि या उसके किसी बकाया अंश को बकाया ब्याज सहित काटने के लिए अधिकृत होगा.

### PART - B: DEFINITIONS

The definitions of terms/words used in the policy documents are as under:

- Age is the age of the Pensioner at the time of the commencement of the policy in completed years.
- Appointee is the person to whom the proceeds/benefits secured under the Policy are payable if the benefit becomes payable to the nominee and nominee is minor as on the date of claim payment.
- Assignee is the person to whom the rights and benefits are transferred by virtue of an Assignment.
- Assignment is the process of transferring the rights and benefits to an "Assignee" under section 38 of Insurance Act, 1938.
- Beneficiary means the person who is entitled to receive benefits under this
  Policy. The Beneficiary may be Pensioner or his Assignee or Nominees or
  proved Executors or Administrators or other Legal Representatives as the
  case may be.
- Corporation means the Life Insurance Corporation of India established under Section 3 of the LIC Act, 1956.
- 7. Date of commencement of policy is the start date of this Policy.
- 8. **Discharge form** is the form to be filled by Pensioner/ beneficiary to claim the surrender/death benefit respectively.
- Due Date means a fixed date on which the pension is due and payable to the Pensioner.
- Endorsement means conditions attached/ affixed to this Policy incorporating any amendments or modifications agreed to or issued by the Corporation.
- 11. **Family** for the purpose of this policy means pensioner, his/her spouse
- 12. Free Look Period is the period of 15 days from the date of receipt of the policy document to review the terms or conditions of this policy and where the Pensioner disagrees to any of those terms and conditions, he/ she has the option to return this policy.
- 13. IRDA means Insurance Regulatory and Development Authority.
- Loan is the interest bearing amount granted by the Corporation as a percentage of the Purchase Price.
- 15. Material information is the information already known to the Pensioner at the time of obtaining a policy which has a bearing on underwriting of the proposal submitted.
- 16. Minor is a person who has not completed 18 years of age.
- 17. Nomination is the process of nominating a person who is named as "Nominee" in the proposal form or subsequently included/ changed by an endorsement, as per section 39 of the Insurance Act. 1938.
- 18. Nominee is the person who has right to give a valid discharge to the policy monies in case of the death of the Pensioner.
- 19. Policy/ Policy Document means this document along with endorsements, if any, issued by the Corporation which is a legal contract between the Pensioner and the Corporation.
- Pensioner is an individual who receives pension at fixed interval of time under this policy.
- 21. **Purchase Price** is the amount paid by the Pensioner at inception to secure the benefits under the policy.
- the benefits under the policy.

  22. **Schedule** is the part of policy document that gives the details of your policy.
- 23. Surrender means complete withdrawal / termination of the entire policy.
- 24. Surrender Value means an amount, if any, that becomes payable in case of surrender in accordance with the terms and condition of this policy.
- UIN means the Unique Identification Number allotted to this plan by the IRDA.

# PART - C : BENEFITS

The following benefits are payable under this policy:

- Pension Benefit: Amount of Pension Instalment (in the form of immediate annuity) as mentioned in the Schedule shall be payable during lifetime of the Pensioner as per the mode chosen by the Pensioner. This benefit shall cease on death of the Pensioner.
  - Total amount of pension under all the policies issued to a family under this plan shall not exceed Rs. 60,000/- per annum.
- Death Benefit: On death of the Pensioner, the Purchase Price shall be refunded to the beneficiary.

# PART - D: CONDITIONS RELATED TO SERVICING ASPECTS

- 1. Proof of Age: Policy is issued based on the age of the Pensioner as declared in the proposal form. Provided further that if the Pensioner's correct age at entry is such as would have made him/her uninsurable under the class or terms of assurance specified in the said Schedule hereto, then the policy will be cancelled and the surrender value will be paid as on the date of such cancellation.
- 2. Policy Loan: Policy loan shall be available only after the completion of three policy years from date of commencement of the policy. The maximum amount of loan available under the policy shall be 75% of Purchase Price, subject to the production of satisfactory title and following terms and conditions and on such further terms and conditions as the Corporation may fix from time to time:
- The Policy shall be assigned absolutely to and held by the Corporation as security for the repayment of loan and of the interest thereon;
- (iii) Interest on the loan shall accrue as per the frequency of payment of pension under the policy and shall be recovered from the pension instalment at the rate which shall be specified by the Corporation when the loan is made. The first recovery of the loan interest shall he made from the next pension instalment falling due after the loan is made;
- (iii) In case the policy is surrendered or on policy becoming a claim by death, the Corporation shall become entitled to deduct the amount of the loan or any portion thereof which is outstanding, together with any outstanding interest, from the policy moneys.

3. अभ्यर्पण: पॉलिसी के आरंभ होने की तिथि से 15 वर्षों के पूरा होने पर पॉलिसी को अभ्यर्पण किया जा सकता है. अभ्यर्पण मूल्य पॉलिसी के अंतर्गत अदा की गई क्रय कीमत होगी.

लेकिन, असाधारण परिस्थितियों में, अगर पंशन प्राप्तकर्ता को अपनी या अपने जीवनसाथी की किसी गंभीर/लाइलाज बीमारी के उपचार के लिए धन की आवश्यकता हो तो पॉलिसी को 15 वर्ष पूरे होने से पहले अभ्यर्पण किया जा सकता है, ऐसे में देय अभ्यर्पण मूल्य, क्रय कीमत का 98% होगा.

लागू नहीं

## भाग-र: अन्य नियम व शर्तें

- पॉलिसी को लौटा सकता है. इसके प्राप्त होने पर निगम पॉलिसी को रद्द कर देगा तथा स्टैम्प ड्यूटी हेतु शुल्क को काटकर, जमा किए गए क्रय मूल्य को लौटा देगा.
- 2. समानुदेशन तथा नामाकन: इस पॉलिसी के अंतर्गत भाग द में ''पॉलिसी ऋण' शीर्षक के अंतर्गत शर्त (i) के अलावा किसी समानुदेशन की अनुमति नहीं है. शायक के अतगत शत (i) के अलावा किसा समानुदशन की अनुमात नहीं हैं. बीमा अधिनयम 1038 की धारा 39 के अनुसार जीवन बीमा की पॉलिसी पर धारक द्वारा नामांकन किया जाना अपेक्षित है. आमतौर पर जोर दिया जाता है कि नामित पेशन प्राप्तकर्ता का अत्यन्त निकट संबंधी होना चाहिए. नामांकन या नामांकन में परिवर्तन की सूचना पॉलिसी को सेवा प्रदान करने वाली शाखा में, निगम कार्यालय द्वारा पंजीकरण हेतु दी जानी चाहिए. नामांकन का पंजीकरण करते समय निगम उसकी वैधता या कानूनी प्रभाव के बारे में कोई जिम्मेदारी स्वीकार नहीं करता है या अपनी कोई राय नहीं देता है.
- 3. विशेष परिस्थितियों में जब्ती: यदि इसमें उल्लिखित या पृष्ठांकित किसी भी शर्त का उल्लंघन होगा या इस के बाद यह पाया जाएगा कि इस में उल्लिखित प्रस्ताव और घोषणाओं में कोई असत्य या गलत बयान सम्मिलित है या उसमें संदर्भित प्रकथनों वार्षणाओं में कोई असरय यो गतित बयान सामालति है यो उसने सद्मित प्रकर्मना को सही और साफ ढंग से नहीं बताया गया है अध्या कोई महत्त्वपूर्ण तर्थ्य छुपाए गए हैं तो ऐसी प्रत्येक परिस्थितियों में बीमा अधिनियम 1938 की धारा 45 की लागू हो सकने वाली व्यवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए यह पॉलिसी अवैध मानी जाएंगी और सरेन्डर मूल्य का भुगतान करके इससे सम्बंधित समस्त हितलाम के दावे तुरन्त समाप्त हो जाएंगे.
- 4. वैधानिक परिवर्तनः इस पॉलिसी के अतर्गत देय हितलाभ तथा नियम तथा शर्ते संबंधित विधानों और विनियमों में परिवर्तन के विषयाधीन होगी.
- दावाः इस पॉलिसी के अंतर्गत देय धन का भुगतान निगम के उसी कार्यालय द्वारा किया जाएगा जहां इस पॉलिसी को सेवा दी जा रही है, किन्तु निगम, किसी भी समय कोई वैकल्पिक स्थान निर्धारित करने का परम अधिकार रखता है.
- 6. दावे के लिए सामान्य अपेक्षाए

पेंशन प्राप्तकर्ता की मृत्यु पर देय हितलाभः

परान प्राथितिया का नृत्यु होने पर दावेदार द्वारा दावा प्रस्तुत करते समय देय सामान्य दस्तावेजां में निगम द्वारा विनिर्धारित दावा प्रपत्र के साथ मूल पॉलिसी दस्तावेजां, दावे की राशि के सीधे बैंक अकाउन्ट में जमा होने के लिए दावेदार की ओर से एनईएफटी आदेश, स्वामित्व का प्रमाण, मृत्यु का प्रमाण, इन में से जो लागू हो निगम को संतोषप्रद रूप में पेश करना होगा. अगर पॉलिसी के अंतर्गत उम्र प्रमाणित नहीं की है, तो पेंशन प्राप्तकर्ता की उम्र का प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना होगा. पेंशन भगतान के लिए: पेंशन प्राप्तकर्ता को इस बारे में निगम दारा निर्धारित समय-अवधियों में, तय किए गए प्रोफार्मा में विद्यमानता का प्रमाणपत्र जमा कराना पड़ेगा. अभ्यर्पण पर देय हितलाभ के लिए: 15 वर्ष पूरे होने से पहले अगर पॉलिसी को अभ्यर्पण किया जाता है तो पेंशन प्राप्तकर्ता को मूल पॉलिसी दस्तावेज के साथ डिस्चार्ज फॉर्म, अपने/जीवन साथी के चिकित्सा उपचार का प्रमाण, तथा उम्र का प्रमाण, अगर उसे पहले स्वीकृत नहीं किया गया है, को जमा कराना होगा.

 टैक्स: टैक्स संबंधी कानूनों के अनुसार टैक्स तथा सर्विस टैक्स, यदि कोई देय हो, समय-समय पर लागू दर से देय होंगे. पंशन प्राप्तकर्ता को सर्विस टैक्स की राशि का भुगतान मौजूदा दरों से क्रय कीमत पर करना होगा. अदा किए गए टैक्स की राशि को प्लान के अंतर्गत देय हितलाभों की गणना में शामिल नहीं किया जाएगा.

# भाग-ल: साविधिक प्रावधान

# बीमा अधिनियम 1938 की धारा 45

जीवन बीमा की कोई भी पॉलिसी उसके प्रभावी होने की तारीख से दो वर्ष खत्म धोखे से किया गया और यह कि पॉलिसीधारक वह कथन करते समय जानता था कि कथन असत्य था या उसने तथ्यों को दबाया जिन्हें प्रकट करना ज़रूरी था.

बशर्तें इस धारा में कोई भी बीमाकर्ता को किसी भी समय आयु के प्रमाण के लिए बुलाने से नहीं रोकेगा, यदि उसे ऐसा करने का अधिकार है और कोई भी पॉलिसी सिर्फ़ इसीलिए प्रश्न के लिए नहीं बुलाई जा सकती है कि सबंधित प्रमाण पर पॉलिसी की शर्तें समायोजित की गई हैं कि प्रस्ताव में बीमित जीवन की आयु गलत बताई गई है.

शिकायत समाधान प्रणाली: ग्राहकों की शिकायतों के समाधान के लिए निगम के शाखा/मंडल/क्षेत्रीय/केन्द्रीय कार्यालय में शिकायत समाधान अधिकारी हैं. ग्राहकों की शाखा नेडला तन्नाय नेप्प्रांच प्रचालय न त्रांचावत संनाधान आद्यांचे हैं. शहरा को शिकायत का शीघ्र समाधान करने के लिए निगम ने अपने कस्टमर पोर्टल (वेबसाइड) http://www.licindia.in के ज़िएए ग्राहक शुमचिन्तक एकीकृत शिकायत प्रबंधन प्रणाली प्रस्तुत की है, जिसके ज़िए पंजीकृत पॉलिसीधारक अपनी शिकायत को सीधे दर्ज कर सकते हैं तथा उसकी स्थिति पर निगरानी रख सकते हैं. ग्राहक अपनी किसी समस्या के समाधान के लिए ईमेल आईडी co\_crmgrv@licindia.com पर भी सम्पर्क कर

जो दावेदार मृत्यु के दावे को अस्वीकृत किए जाने के निर्णय से संतुष्ट न हों वे अपने मामले को समीक्षा के लिए क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा विवाद समाधान समिति या केन्द्रीय कार्यालय दावा विवाद समाधान समिति के पास भेज सकते हैं. प्रत्येक दावा विवाद समाधान समिति में उच्च न्यायालय/जिला न्यायालय के एक सेवानिवृत्त जज सदस्य के रानायान सानारा न ०६० चावावाव्य गुलारा स्वायाच्य उप स्वानान्य गण सदस्य र रुप में हैं, षिकायतों से संबंधित दावों के समाधान के लिए दावेदार भारत सरकार द्वारा नियुक्त बीमा लोकपाल से भी सम्पर्क कर सकते हैं जो कि ग्राहकों को कम खर्चे के साथ त्वरित गति से मध्यस्थता प्रदान करने के लिए है.

3. Surrender: The policy can be surrendered after completion of 15 years from the date of commencement of the policy. The Surrender Value shall be the

Purchase Price paid under the policy.

However, under exceptional circumstances, if the Pensioner requires money for the treatment of any critical/terminal illness of self or spouse then the policy can be surrendered before the completion of 15 years and the Surrender Value payable shall be 98% of Purchase Price.

## PART E

### PART - F: OTHER TERMS AND CONDITIONS

- 1. Free look period: During the Free Look period, if the Pensioner is not satisfied with the Terms or Conditions of the policy, he/she may return the policy to the Corporation stating the reason of objections. On receipt of the same the Corporation shall cancel the policy and return the amount of Purchase Price deposited after deducting the charges for stamp duty.
- 2. Assignments and Nominations: No assignment is allowed under this policy except for the Condition (i) under the heading "Policy Loan" in Part D. Nomination by the holder of a policy of life assurance is required as per Section 39 of the Insurance Act, 1938. It is generally insisted that the nominee shall be very close relative of the Pensioner. The notice of nomination or change of nomination should be submitted for registration to the office of the Corporation, where the policy is serviced. In registering a nomination the Corporation does not accept any responsibility or express any opinion as to its validity or legal effect.
- Forfeiture in Certain Events: In case any condition herein contained or endorsed hereon shall be contravened or in case it is found that any untrue or incorrect statement is contained in the proposal, personal statement, declaration and connected documents or any material information is withheld, then and in every such case but subject to the provisions of Section 45 of the Insurance Act, 1938, wherever applicable, this policy shall be void and all claims to any benefit in virtue hereof shall cease immediately by paying the surrender value.

  Legislative Changes: The Terms and Conditions and benefits payable under
- this policy are subject to variation in accordance with the release.
- Claim: The amounts due under this policy are payable at the office of the Corporation where this policy is serviced; but the Corporation has absolute discretion to fix, at any time, any alternative place of payment.

  Normal requirements for a claim:

For benefit payable on death of the Pensioner:
The normal documents which the claimant shall submit while lodging the claim in case of death of the Pensioner shall be claim forms, as prescribed by the Corporation, accompanied with original policy document, NEFT mandate from the claimant for direct credit of the claim amount to the bank account, proof of title, proof of death, whichever is applicable, to the satisfaction of the Corporation. If the age is not admitted under the policy, the proof of age of the Pensioner shall also be submitted.

For pension in payments: The Pensioner shall submit the Existence Certificate in the proforma of the Corporation in this regard at the time intervals as prescribed from time to time.

For benefit payable on surrender: The Pensioner shall submit the discharge form along with the original policy document, proof of medical treatment of self/spouse if this policy is surrendered before the completion of 15 years and proof of age, if the age is not admitted earlier.

Tax: Taxes including Service Tax, if any, shall be as per the Tax laws and the rate of tax shall be as applicable from time to time.

The amount of Service tax as per the prevailing rates shall be payable by the Pensioner on the Purchase Price. The amount of tax paid shall not be considered for the calculation of benefits payable under the plan.

# Section 45 of Insurance Act, 1938:

No policy of life insurance shall after the expiry of two years from the date on which it was effected, be called in question by an insurer on the ground that a statement made in the proposal for insurance or in any report of a medical officer, or referee, or friend of the insured, or in any other document leading to the issue of the policy, was inaccurate or false, unless the insurer shows that such statement was on a material matter or suppressed facts which it was material to disclose and that it was fraudulently made by the policyholder and that the policyholder knew at the time of making it that statement was false or that it suppressed facts which it was material to

Provided that nothing in this section shall prevent the insurer from calling for proof of age at any time if he is entitled to do so, and no policy shall be deemed to be called in question merely because the terms of the policy are adjusted on subsequent proof that the age of the life assured was incorrectly stated in the proposal.

Grievance Redressal Mechanism: The Corporation has Grievance Redressal Mechanism: The Corporation has Grievance Redressal Officers at Branch/ Divisional/ Zonal/ Central Office to redress grievances of customers. For ensuring quick redressal of customer grievances the Corporation has introduced Customer friendly Integrated Complaint Management System through our Customer Portal (website) which is http://www.licindia.in, where a registered policy holder can directly register complaint/ grievance and track its status. Customers can also contact at e-mail id co\_crmgrv@licindia.com for redressal of any grievances. Claimants not satisfied with the decision of death claim repudiation have the option of referring their cases for review to Zonal Office Claims Dispute Redressal Committee or Central Office Claims Dispute Redressal Committee. A retired High Court/ District Court Judge is member of each of the Claims Dispute Redressal Committees. For redressal of Claims related grievances, claimants can also approach Insurance Ombudsmen who are appointed by Government of India for providing low cost and speedy arbitration to customers.



नोट: अगर आपकी कोई शिकायत/समस्या, हो तो आप शिकायत समाधान अधिकारी/लोकपाल से सम्पर्क पर सकते हैं, जिनका पता नीचे दिया गया है: NOTE: In case you have any Complaints/Grievance, you may approach Grievance Redressal Officer/ Ombudsman, whose address is as under:

शाखा कार्यालय का पता: Address of Branch Office:	शिकायत समाधान अधिकारी का पता: Address of Grievance Redressal Officer:	बीमा लोकपाल का पता : Address of Insurance Ombudsman:

नोट: इन नियमों तथा शर्तों और विशेष प्रावधानों/शर्तों की व्याख्या में कोई विवाद होने पर अंग्रेजी पाठ मान्य होगा.

Note: In case of dispute in respect of interpretation of these terms and conditions and special provisions/conditions the English version shall stand valid.

आपसे अनुरोध है कि इस पॉलिसी की जांच कर लें तथा इसमें कोई त्रुटि पाए जाने पर उसे सुधार के लिए तुरन्त हमें लौटाएं YOU ARE REQUESTED TO EXAMINE THIS POLICY, AND IF ANY MISTAKE BE FOUND THEREIN, RETURN IT IMMEDIATELY FOR CORRECTION.